

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 428/12

संस्थापन दिनांक:-17/09/12

फाईलिंग नं. 233504000552012

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

आनंदराव पिता श्यामराव  
उम्र 44 वर्ष, निवासी लालावाड़ी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 16.09.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 15.09.2012 को 04:00 बजे प्रार्थी के खेत की मेड़ ग्राम लालावाड़ी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत प्रार्थी भीमराव को बांये हाथ पर कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.2012 को करीब 4 बजे फरियादी उसके खेत गया था। जहां उसका भाई अभियुक्त आनंदराव उसकी मेड़ से घास काट रहा था जिसे उसने घास काटने से मना किया तो अभियुक्त उठा और उसके साथ मारपीट करने लगा और उसे हाथ में रखी कुल्हाड़ी से मारा जिससे उसके बांये हाथ की कलाई में चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 297/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से एक कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा

फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर प्रार्थी भीमराव को बांये हाथ पर कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

#### विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

5 भीमराव (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया है कि घटना उसके ग्राम लालावाड़ी स्थित खेत की मेड़ की है। घटना के समय उसका भाई/अभियुक्त आनंदराव खेत से घास काट रहा था इस बात पर से उसने अभियुक्त आनंदराव से कहा कि घास क्यों काट रहे हो तो आनंदराव ने उसके बांये हाथ पर कुल्हाड़ी से मार दिया जिससे उसे चोट आयी थी।

6 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 15.09.2012 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत भीमराव का परीक्षण किया था जिसमें आहत की बांयी अग्र भुजा पर कलाई के जोड़ के उपर 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव एवं सिर के मध्य में सूजन पाई थी। साक्षी के अनुसार चोट क. 1 कड़े एवं धारदार हथियार से एवं चोट क. 2 कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचाई गयी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-7) को प्रमाणित भी किया है। उपर्युक्त साक्षी की साक्ष्य से आहत भीमराव (अ.सा.-6) के द्वारा बताये गये स्थान पर अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में चोट आने का तथ्य की संपुष्टि होती है।

7 रहमतसिंह (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 16.09.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 297/12 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-7) एवं अभियुक्त से एक कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-3) तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

8 बिसनसिंह (अ.सा.-8) ने अपने न्यायालयीन कथन दिनांक 15.09.

2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी द्वारा घटना की सूचना दिये जाने पर रोजनामचा सान्हा क्र. 981 (प्रदर्श प्री-4) लेख करना तथा फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराये जाने के बाद एमएलसी रिपोर्ट में शार्प आब्जेक्ट से चोट आना दर्शित होने से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 297/12 में (प्रदर्श प्री-5) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाना प्रकट किया है।

9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन कथा का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर एकमात्र फरियादी की साक्ष्य उपलब्ध है तथा फरियादी और अभियुक्त के मध्य पूर्व से रंजिश चली आ रही है। ऐसी स्थिति में एकमात्र फरियादी की साक्ष्य पर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में धुंधराव (अ.सा.-2), गुलाबराव (अ.सा.-3), सायबू (अ.सा.-4) ने अपने समक्ष घटना घटित होने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। साथ ही घटना की कोई भी जानकारी न होना भी प्रकट किया है। धुंधराव (अ.सा.-2) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-3) पर अपने हस्ताक्षर न होना भी प्रकट किया है। अभियोजन द्वारा उपर्युक्त साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य इन साक्षियों की साक्ष्य से प्रकट नहीं हुए हैं।

11 काशीबाई (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना एक वर्ष पुरानी होकर गाल लालावाड़ी स्थित खेत की है। उक्त साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि क्या घटना हुई थी उसे उसकी जानकारी नहीं है परंतु अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने फरियादी भीमराव के हाथ में चोट देखी थी परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 3 में उक्त साक्षी ने बचाव के सुझाव पर यह बताया है कि फरियादी भीमराव के हाथ पर चोट थी या नहीं उसे नहीं पता। अभियोजन कथा अनुसार उक्त साक्षी अनुश्रुत साक्षी है जिसे जानकारी उसके बेटे/फरियादी भीमराव के द्वारा दी गयी थी। साक्षी अपने कथनों में स्थिर नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

12 धुंधराव (अ.सा.-2) भी अभियोजन कथा अनुसार अनुश्रुत साक्षी है। अतः इसके द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन के

मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साक्षी धुंधराव (अ.सा.-2) एवं साक्षी काशीबाई (अ.सा.-1) अभियुक्त एवं फरियादी के परिवार के हैं। काशीबाई अभियुक्त व फरियादी की मां है तथा धुंधराव अभियुक्त व फरियादी का भाई है। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण एक ही परिवार के होने से उनके द्वारा अभियोजन का समर्थन न किया जाना अस्वाभाविक नहीं है। अतः साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

13 सायबू (अ.सा.-4), गुलाबराव (अ.सा.-3) प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण हैं। अभियोजन कथा अनुसार उक्त साक्षीगण फरियादी भीमराव की आवाज सुनकर मौके पर आये थे और बीच बचाव किया था। उक्त साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष या विपक्ष में गवाही देने से बचता है। साथ ही अभियुक्त एवं फरियादी एक ही परिवार के हैं। ऐसी स्थिति में किसी के पारिवारिक मामले में कोई भी व्यक्ति दखल देने से बचता है। अतः उपर्युक्त साक्षीगण का भी अभियोजन का समर्थन न किये जाने से अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना परिलक्षित नहीं होता है।

14 बचाव अधिवक्ता के एकमात्र आहत/फरियादी भीमराव (अ.सा.-6) के कथनों पर अभियोजन का मामला प्रमाणित न माने जाने के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि धारा 134 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधानित है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल (2003) 1 एस.सी.सी. 465 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह से विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्धि स्थिर की जा सकती है। अतः उक्त तर्क एवं न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में साक्षी भीमराव (अ.सा.-6) की साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना आवश्यक है।

15 भीमराव (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में खेत पर घास काटने की बात पर से अभियुक्त के द्वारा उसे बांये हाथ पर कुल्हाड़ी मार दिया जाना बताया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 4 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि खेत के बंटवारे को लेकर अभियुक्त के साथ उसका झगड़ा चल रहा है इसी कारण से उनकी आपस में बोलचाल बंद है। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसकी अभियुक्त से रंजिश है परंतु साक्षी ने आगे यह कहा कि कोई रंजिश नहीं है घास काटने की बात पर से। साक्षी ने पैरा क. 5 में इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसका जब अभियुक्त से झगड़ा हुआ था वह भागते भागते गिर गया था। साक्षी ने स्वतः में यह कहा कि झगड़ा जमसे हुआ था उसकी भाभी छाती पर बैठ गयी थी और अभियुक्त आनंदराव के

साथ मिलकर मारपीट की थी जिससे वह गिर गया था। पैरा क. 6 में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अभियुक्त आनंदराव को मारा था। साथ ही इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त को मारते समय उसे चोटें आयी थी। साक्षी ने स्वतः में व्यक्त किया है कि मैं बड़े भाई को क्यों मारूंगा।

16 साक्षी भीमराव (अ.सा.-6) अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसे मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर है। यद्यपि उसने अभियुक्त के साथ जमीनी रंजिश को स्वीकार किया है परंतु यह उल्लेखनीय है कि जहां पर रंजिश किसी को फंसाये जाने का आधार हो सकती हैं वहीं मारपीट का हेतुक भी हो सकती है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा आहत को बांधे हाथ पर कुल्हाड़ी से चोट आने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है। तब ऐसी स्थिति में रंजिश से बचाव को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

17 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियोजन कथा अनुसार घटना स्थल फरियादी भीमराव के खेत की मेड़ है। जबकि नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-7) में घटना स्थल अभियुक्त आनंदराव एवं अजाबराव के खेत की मेड़ दर्शायी गयी है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त आनंदराव फरियादी भीमराव के खेत की मेड़ पर से घास काट रहा था इसी बात पर से विवाद हुआ था परंतु अभियोजन कथा अनुसार ही घास काटने की बात पर से ही अभियुक्त उस जगह से उठा और फरियादी के साथ मारपीट करने लगा तब ऐसी स्थिति में ठीक जिस जगह पर अभियुक्त घास काट रहा था उसी जगह पर मारपीट हुई हो यह संभव नहीं है। साथ ही नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-7) में घटना स्थल जो दर्शाया गया है वह फरियादी भीमराव की मेड़ से लगा हुआ ही है। तब ऐसी स्थिति में बचाव अधिवक्ता का तर्क का कोई महत्व नहीं रहा जाता है।

18 प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से साक्षी रामपाल (ब.सा.-1) को परीक्षित कराया गया है। साक्षी ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त एवं फरियादी के बीच में जमीन का विवाद है और उसे फरियादी भीमराव ने यह बताया था कि वह आरोपी आनंदराव को झूठे केस में फंसा देगा। साथ ही यह भी बताया था कि उसने खुद ही चोट पहुंचाकर आनंदराव को झूठे केस में फंसाया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसका खेत अभियुक्त एवं फरियादी के खेत से एक किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही यह भी सही होना बताया है कि यदि फरियादी के खेत पर कोई घटना हो तो उसके द्वारा देखा जाना संभव नहीं है।

19 साक्षी रामपाल (ब.सा.-1) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उक्त साक्षी ने फरियादी भीमराव को चोट कारित करते देखा हो या किस दिन किस समय भीमराव ने उसे यह बताया हो कि वह अभियुक्त को झूठा

फंसायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के द्वारा मात्र यह कह देने से कि फरियादी अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसा देगा, के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि फरियादी के द्वारा अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया गया है।

20 प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त को फरियादी के द्वारा कोई प्रकोपन दिया गया हो। अभियुक्त के द्वारा फरियादी के हाथ पर कुल्हाड़ी से सीधा प्रहार करना उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है।

21 घटना दिनांक 15.09.2012 की शाम के 04:00 बजे की है। फरियादी के द्वारा उक्त दिनांक को ही घटना की रिपोर्ट घटना के तत्काल पश्चात 06:10 बजे की गयी है। घटना स्थल से थाने की दूरी 10 किलोमीटर है। फरियादी भीमराव (अ.सा.-6) की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से संपुष्ट है। फरियादी के द्वारा अभियोजन कथा के अनुरूप ही न्यायालय में कथन किये गये हैं। उसके कथनों में कोई भी तात्त्विक विरोधाभास नहीं पाया गया है जिससे कि अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित हो। घटना के तत्काल पश्चात उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गयी। ऐसी स्थिति में मिथ्या कहानी गढ़ना भी परिलक्षित नहीं होता है। अतः : एकमात्र आहत/फरियादी की साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त आनंदराव के द्वारा फरियादी को कुल्हाड़ी जो कि धारदार हथियार है, से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

22 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी भीमराव को बांये हाथ पर कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त आनंदराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के आरोप में दोषी पाया जाता है।

23 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

### पुनश्च :-

24 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

25 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

26 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी सगे भाई हैं एवं घटना में अभियुक्त द्वारा फरियादी को कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई जाना प्रमाणित हुआ है। प्रकरण के संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को मात्र अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। फलतः अभियुक्त आनंदराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के आरोप में छह माह के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

27 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत भीमराव पिता श्यामराव, निवासी लालावाड़ी, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

28 प्रकरण में जप्तशुदा एक कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

29 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

30 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)